क्रम-संख्या–11

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx–1] [k.M ¼d½
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] 'kØokj] 2 tuojh] 2026
ik"k 12] 1947 'kd lEor

उत्तर प्रदेश शासन
fo/kk;h vuHkkx&1
————————

संख्या 259 / 79-वि-1–2026-1-क-23-2025
लखनऊ, 2 जनवरी, 2026
————————

अधिसूचना

fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 को निरसित करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1956 का निरसन

2– उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

———————

## mnn'; vkj dkj.k

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1956) को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में, दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 को दिए गए अपने विनिश्चय में राज्य की विधायी हैसियत से परे और अधिकारातीत घोषित किया गया है।

इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 के विनिश्चय के पश्चात, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 अब अस्तित्व में नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम का निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

———————